

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर  
क्रमांक:प 8 (ड) ( )विधि/मनो/डीएलबी/21/3070

दिनांक 23/06/21

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2834 दिनांक 16.06.2021 द्वारा नगरपालिका रामगंजमण्डी जिला कोटा में मनोनीत निम्न सदस्यों को तुरन्त प्रभाव से हटाया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी
1.	श्री रामकुमार पारख (श्री राजकुमार पारख)		बाजार नं. 07 रामगंजमण्डी कोटा	9214545520
2.	श्री गजेन्द्र सोन (जाटव)		एस.ई.बी.के. पीछे, रामगंजमण्डी, कोटा	9829720448
3.	श्री चिरंजीलाल	श्री बिहारी लाल	रामगंज मण्डी, कोटा	7742807334


राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक मन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव  
दिनांक 23/06/21

क्रमांक:प 8 (ड) ( )बो.प्र/डीएलबी/21/3071-3084  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
02. निजी सचिव, विशेषाधिकारी (डी.), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
03. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, जिला कलक्टर, कोटा।
07. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग कोटा।
09. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका रामगंजमण्डी। को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करावें।
11. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
12. उप निदेशक (जनसम्पर्क), निदेशालय।
13. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित फत्रावली।



(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी